

ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश विवाह का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2016 के अनुसार फीस दर व प्राधिकृत अर्थारिटी :-

30 दिन के भीतर	200/- रुपये	रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)
बी०पी०एल० परिवारों के लिए	25/- रुपये	रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)
30 दिनों के पश्चात् व 90 दिन के भीतर।	400/- रुपये	रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)
बी०पी०एल० परिवारों के लिए	50/- रुपये	रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)
90 दिन के पश्चात् और 1 वर्ष के भीतर।	400/- रुपये	जिला विवाह रजिस्ट्रार (उपायुक्त) की लिखित अनुज्ञा उपरान्त रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)।
बी०पी०एल० परिवारों के लिए (जिला विवाह रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से)।	50/- रुपये	जिला विवाह रजिस्ट्रार (उपायुक्त) की लिखित अनुज्ञा उपरान्त रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)।
1 वर्ष के पश्चात् (विवाह की सत्यता या सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर)।	400/- रुपये	प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश उपरान्त रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)।
बी०पी०एल० परिवारों के लिए (विवाह की सत्यता या सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर)	50/- रुपये	प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश उपरान्त रजिस्ट्रार विवाह (पंचायत सचिव)।
विदेश में किए गए विवाह का रजिस्ट्रीकरण।	1000/- रुपये	विदेश में किए गए विवाह के रजिस्ट्रीकरण ज्ञापन 1000/- रुपये की फीस के साथ सम्बन्धित रजिस्ट्रार विवाह को प्रस्तुत करेगा।